R.C.T. No./527/2022

State of M.P. V/S pravesh

न्यायालय : मोनिका वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियाधाना जिला शिवपुरी (म.प्र.)

Registration No. 207/2022
Filling No. RCT/1195/2022
CNR N0. MP 3306-0001258-2022
Filing Date-14-10-2022

पुलिस थाना–खनियाधाना, जिला शिवपुरी के अपराध कं.–408/2022 अपराध अंतर्गत धारा–279, 337,भा.दं.सं.,1860 एवं धारा–03/181, मोटरयान अधिनियम से उद्भूत आपराधिक प्रकरण।	
परिवादी/अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा **पुलिस थाना खनियाधाना** जिला–शिवपुरी (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	अभियोजन अधिकारी श्री कल्याण सिंह
अभियुक्त	प्रवेश पुत्र देशराज रजक उम्र 21 वर्ष निासी ग्राम बूधौन राजापुर थाना मायापुर जिला शिवपुरी म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री एस0एस0बुन्देला

प्ररूप–ड

अपराध की तारीख	02.07.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	23.07.2022
अभियोग–पत्र की तारीख	14.10.2022
आरोपों के विरचना की तारीख	24.01.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	24.01.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	15.07.2025
निर्णय की तारीख	15.07.2025
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	–

प्ररूप–च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची–

क– अभियोजन

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा. 1	सूरज	फरियादी / आहत

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची–

क– अभियोजन

क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	नक्शामौका
3	प्रदर्श पी–3	पुलिस कथन

निर्णय

(आज दिनाँक– **15.07.2025** को घोषित किया गया)

1. अभियुक्त प्रवेश पर भा.दं.सं. की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप हैं कि उसने दिनांक 02.07.2022 को लगभग दोपहर के 03–30 बजे घटनास्थल चौहापोहा नाला ग्राम मुहारी खिरकिट के बीच में वाहन मोटर साईकल क्रमाक एम0पी0–33 एम.आर. 8898 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चालकर मानवजीवन संकटापन्न किया और उक्त वाहन को बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के चलाया गया।

2. प्रकरण में अवलोकनीय है कि फरियादी / आहत द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा / शमन आवेदन अंतर्गत धारा 320 दं.प्र.सं. के आधार पर अपराध अंतर्गत धारा 337 द.प्र.स से अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध शेष अपराध का आरोप अंतर्गत धारा 279 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के संबंध में विचारण किया जा रहा है।

3. अभियोजन घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 02.07.2022 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की है कि वह एवं उसका

चाचा सुनील रजक अपनी मोटर साईकल क्रमाक 33 एम0डब्लू 3171 से खनियाधानाा से अपने घर बसाहर जा रहा था जैसे ही समय करीब 03:30 बजे वह चौहापोहा नाला के पास पहुचा तो सामने से मोटर साईकल क्रमाक एम0पी0–33 एम0.आर0 8898 का चालक अपनी मोटरसाईकल को तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसकी मोटर साईकल में टक्कर मार दी टक्कर लगने से वह मोटर साईकल सहित गिर गया जिससे उसे दाहिने पैर में, गले में, कमर में दाहिनी तरफ चोट होकर खून निकल आया पीठ में मूदी चोट आई थी। मोके पर सुनील रजक व उदल रजक थे जिन्होने घटना देखी थी। उसके बाद रिपोर्ट को आया है कार्यवाही की जावे।

4. फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना खनियाधाना में अपराध क्रमांक 408/2022, धारा 279, 337 भा.दं.सं.,1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी थी। अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया, साक्षीगण के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाए गए एवं अन्य आवश्यक अनुसंधान पश्चात् यह पुलिस रिपोर्ट अभियुक्त के विरूद्ध धारा 173(2) दं.प्र.सं.,1973 के अंतर्गत थाना प्रभारी के माध्यम से न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत की गयी।

5. अभियुक्त ने अपने अभिवाक में पद 01 में वर्णित आरोप अस्वीकार किया है। अभियोजन की ओर से आयी साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध न होने से अभियुक्त का धारा 313 द्र.प्र.स के तहत परीक्षण नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

6. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न हैं–

(i) क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 02.07.2022 को लगभग दोपहर के 03–30 बजे घटनास्थल चौहापोहा नाला ग्राम मुहारी खिरकिट के बीच में वाहन मोटर साईकल क्रमाक एम0पी0–33 एम.आर. 8898 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चालकर मानवजीवन संकटापन्न किया?

(ii) उक्त वाहन को बिना वैधानिक अनुज्ञाप्ति के चलाया?

(iii) दोषसिद्धि एवं दंडादेश, यदि कोई हो?

—:विवेचना एवं सकारण निष्कर्षः—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3—

साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनर्रावृत्ति को रोकने हेतु विचारणीय बिंदू क्रमांक 1 लगायत 3 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है

7. प्रकरण में अभियोजन फरियादी/आहत साक्षी सूरज अ.सा.01 ने सारतः अभिसाक्ष्य दिया है कि वह आरोपी प्रवेश को नही जानता है।घटना आज से तीन वर्ष पूर्व की होकर चौहापोहा नाले की है। फरियादी/आहत साक्षी सूरज अ.सा.01 आगे सारतः अभिसाक्ष्य दिया है कि वह घटना दिनांक को मोटर साईकल से खनियाधाना से घर जा रहा था। जैसे ही चौहा पोहा नाले के पास पहुचा तो अज्ञात वाहन से उसका एक्सीडेण्ट हो गया था। जिसकी रिपोर्ट उसने थाना खनियाधाना में की थी जो प्रदर्श पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर अपने सम्यक रूप से हस्ताक्षर प्रमाणित किये है। नक्शा मौका प्रदर्श पी—2 है जिकसे ए से ए भाग पर अपने सम्यक रूप से हस्ताक्षर प्रमाणित किये है। पुलिस ने उसके सामने नक्शा मौका प्रदर्श पी—2 नही बनाया था। पुलिस ने मेरा कोई कथन नही लिया। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही करने के बाद सूचक ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका समझौता हो गया है।

8. धारा 279 भा.द.सं. के अपराध को प्रमाणित करने के लिये यह आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा किसी लोकस्थान पर उसके वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाया जाकर मानवजीवन संकटापन्न किया गया हो। साक्षी/आहत सूरज अ.सा.01 के न्यायालयीन कथनों में स्पष्ट कथन किया है कि घटना दिनांक को मोटर साईकल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। जिससे यह प्रमाणित नही होता है कि घटना दिनांक

को मोटर साईकल को अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था। फरियादी सूरज अ.सा.–1 द्वारा अपने न्यायालीन कथन में घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा उसके वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाये जाने के सबंध में कोई तथ्य प्रकट किया है जिससे यह भी प्रमाणित नही होता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को उसका मोटरसाईकल उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया गया जिससे फरियादी/आहत का मानव जीवन संकटापन किया गया। फरियादी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही कर प्रश्न पूछे गये जिसके उपरांत भी फरियादी द्वारा अभियोजन कहानी का किंचित्र मात्र समर्थन नही किया गया है। इसके अतिरिक्त फरियादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी–01, पुलिस कथन एवं न्यायालीन कथन में प्रबल विरोधाभाष होने तथा घटना से भिन्न कथन करने के कारण अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है। यह सुस्थापित है कि संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता तथा संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को ही मिलता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन मामले के संबंध में जहां युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो, वहां संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिये। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **Dilip and others vs State of M.P. 2006 (8) SC 914, If two views are possible, benefit of doubt should we given to the accused** अवलोकनीय है।

9. अतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक 02.07.2022 को लगभग दोपहर के 03–30 बजे घटनास्थल चौहापोहा नाला ग्राम मुहारी खिरकिट के बीच में वाहन मोटर साईकल क्रमाक एम0पी0–33 एम.आर. 8898 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चालकर मानवजीवन संकटापन्न किया अतः जब घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा वाहन चलाया जाना प्रमाणित नहीं होता है तब यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त द्वारा उक्त वाहन बिना चालक अनुज्ञप्ति के चलाया जा रहा था अतः तद्नुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 व 3 का निष्कर्ष साबित नहीं के रूप में दिया जाता है।

10. अतः अभियुक्त **प्रवेश रजक** को धारा **279** भा.दं.सं. एवं मोटरयान अधिनियम की **धारा 3/181** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

11. आरोपी पूर्व से जमानत पर स्वतंत्र हैं। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मोटर साईकल क्रमाक एम0पी0–8898 वाहन स्वामी प्रवेश पुत्र देशराज की सुपुर्दगी पर है अतः अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात सुपुर्दगीनामा उन्मोचित समझा जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. प्रकरण में अभियुक्त एक भी दिवस न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है। इस संबंध में अभियुक्त का धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

14. निर्णय की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जावे। दिनांक–15.07.2025

स्थानः– खनियाधाना, जिला शिवपुरी।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, दिनांकित व हस्ताक्षरित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही/–
(मोनिका वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खनियाधाना, शिवपुरी (म.प्र.)

सही/–
(मोनिका वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खनियाधाना, शिवपुरी (म.प्र.)